न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या एल.आर/33/2021/नागौर (2021/00033)

1. शिम्भू देवी पुत्री किशनलाल कुमावत निवासी बड़ला बास शमसानघाट के पास, कुचामनसिटी, हाल निवासी कांकरिया, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

———अपीलार्थीया

बनाम

1. कालूराम पुत्र भैरूलाल कुम्हार (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1 राधादेवी पत्नी कालूराम
   1/2 रामूराम पुत्र कालूराम
   1/3 संजय पुत्र कालूराम
   1/4 गणेश पुत्र कालूराम
   1/5 तेजू पुत्र कालूराम
   1/6 ज्योति पुत्री कालूराम
   1/7 रेखा देवी पुत्री कालूराम
2. गंगादेवी पत्नी गोपाललाल
3. गुलाबचन्द पुत्र भैरूलाल (फौत) (न्यायालय हाजा में एक अन्य प्रकरण संख्या 2021/00038 हनुमानसिंह बनाम कालूराम में कायम मुकाम की कार्यवाही की जा चुकी है।)
4. चांदमल पुत्र भैरूलाल
5. सुश्री पूजा कुमावत पुत्री लालचन्द
6. बलराम पुत्र लालचन्द
7. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी शंकरलाल
8. श्रीमती मूली देवी पत्नी भैरूलाल
9. श्रीमती संतोष पत्नी लालचन्द
   समस्त जाति कुम्हार निवासी श्रीमॉल के पीछे, कुचामनसिटी जिला नागौर।
10. श्रीमती मोनिका गोयल पत्नी दिलीप कुमार अग्रवाल
11. शंकरलाल पुत्र किस्तूरमल
12. दिलीप कुमार पुत्र शंकरलाल अग्रवाल
    समस्त जाति अग्रवाल निवासी वी.टी. स्कूल के पास, नयाशहर कुचामनसिटी जिला नागौर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कुचामनसिटी जिला नागौर।
14. प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कुचामनसिटी

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका
कुचामनसिटी दिनांक 22–12–2020
अन्तर्गत धारा 90–ए (8) राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

————

उपस्थित– श्री समीर अहमद खान, अभिभाषक अपीलांट्स
श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 12

निर्णय

दिनांक 01–03–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका कुचामनसिटी द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 308 के संबंध में सुओ–मोटो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90ए (8) के अन्तर्गत कार्यवाही कर अपीलार्थीया की भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए (8) के तहत विवादित आराजियात बाबत लोक सूचना में प्रकाशन की कार्यवाही की गई। विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 308 में अपीलार्थीया का नाम होने पर भी भूमि को राज्य पक्ष में पुर्नग्रहित करने का आदेश प्रदान करते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नगर पालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 22–12–2020 पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीया को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी एवं न ही किसी प्रकार से सूचित किया गया। अपलार्थी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका कुचामनसिटी के उक्त आदेश दिनांक 22–12–2020 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात बाबत कार्यवाही कर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 90 (क) (8) के तहत प्रारम्भ की, किन्तु प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 90 ए में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि नियमों में प्रावधान है कि किसी भी रेकार्डेड खातेदार को किसी भूमि को पुर्नग्रहित करने से पूर्व संबंधित खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। किन्तु प्राधिकृत अधिकारी ने अपीलार्थीया की खातेदारी की आराजियात पुर्नग्रहित करने से पूर्व अपीलार्थीया को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया एवं न ही

विधिवत रूप से अपीलर्थीया को तामील कराया गया न ही किसी प्रकार की सूचना किसी भी माध्यम से अपीलार्थीया को दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने 90 (क) में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायलय ने आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजियात के संबंध में कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की तथा जो रिपोर्ट प्राप्त की जाना अवगत कराया गया है वह भी मौके पर नहीं जाकर कार्यालय में ही बनाइ गई जिससे विवादित आराजियात की सही स्थिति का आंकलन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष हीं हो सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी नहीं बताया गयाकि किस खसरा नम्बर के कितने भू–भाग को अकृषि कार्य के उपयोग में लिया गया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध व विधिविरूद्ध तरीका अपनाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा समस्त कार्यवाही जल्दबाजी में की गई है। उनके द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को साधारण व रजिस्टर्ड नोटिस के जरिये की गई कार्यवाही की सूचना भेजी जानी चाहिए किन्तु उनके द्वारा सीधे ही अखबार में प्रकाशन केवल अल्प समय प्रदान करते हुए धारा–90ए की कार्यवाही कर दी जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 कालूराम का देहान्त होने के पश्चात भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध समस्त कार्यवाही सम्पादित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व उनके समक्ष उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन न कर आनन–फानन में केवल मात्र कयासों के आधार पर विवादित आराजियात को नगर पालिका कुचामन सिटी के नाम करने का आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजियात बाबत राजस्व वाद विचाराधीन होने के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी को 90 बी की कार्यवाही नहीं करने के संबंध में पूर्व में सूचित कर दिया गया था उसके प्श्चात भी उनके द्वारा सूचना को अनदेखा कर विधिक आक्षेपों को निर्णित किये बिना आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। विवादित आराजियात बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के समक्ष प्रत्यर्थीगण का राजस्व वाद संख्या 81/2019 बउनवान हनुमान सिंह व अन्य बनाम कमला देवी व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश भी पारित किये हुए है। साथ ही विवादित आराजियात बाबत कमला देवी व अन्य बनाम गुलाबचन्द व अन्य नामक राजस्व

वाद 68/2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के समक्ष अन्तर्गत धारा 53, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है एवं उक्त वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी की सम्पूर्ण पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि 90 ए की कार्यवाही पूर्ण करते समय प्राधिकृत अधिकारी को अधीनस्थ कर्मचारियों से रिपोर्ट मंगानी चाहिए कि विवादित आराजियात के संबंध में कोई वाद व विधिक कार्यवाही विचाराधीन है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की 90 ए की पत्रावली देखने से स्पष्ट है कि ऐसी कोई टिप्पणी जानबूझकर अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई थी ताकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों को छिपाकर 90 ए की कार्यवाही कर सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधिविरूद्ध एवं खातेदारों को उनकी खातेदारी की आराजियात से बेदखल कर केवल मात्र सरकार को फायदा पहुंचाने की गरज से कार्यवाही की जाकर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाकर प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2020 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 308 रकबा 1.4800 हैक्टर भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के तहत पुनर्ग्रहित किया जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क की उपधारा (8) के तहत उक्त आराजियात को नगर पालिका कुचामन सिटी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का निर्णय दिनांक 18–2–2021, राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 11–12–2020, सिविल कोर्ट परबतसर का निर्णय दिनांक 3–2–2022 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कुचामनसिटी के समक्ष अपीलार्थीया /प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजियात बाबत परिवाद दिनांक 25–1–2021 जो कि माननीय न्यायालयों द्वारा खारिज किये जा चुके है और किसी में कोई स्थगन नहीं दिया हुआ है। विवादित आराजियात लगभग 19 व्यक्तियों को बेचान की जा चुकी है।

उनका यह भी कथन है कि हस्तगत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवादित आराजियात आबादी में आ जाने से सोमोटो 90 ए (8) की धाराओं के तहत आदेश पारित किया है जिसमें किसी खातेदार/पक्षकार को नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है ना ही अपीलार्थीया ने प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कोई एतराज ही किया है। 90 ए का आदेश पारित किये जाने के दौरान विवादित खसरा नम्बर पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं था। साथ ही उक्त खसरा नम्बर में बहुत सारे सहखातेदार है उक्त सभी सहखातेदारों को उक्त

आदेश से किसी को कोई एतराज नहीं है। अपीलार्थीया द्वारा हैरान व परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की गई है। अतः प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कुचामनसिटी जिला नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2020 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीया की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजियात 90ए के तहत नगर पालिका कुचामनसिटी के नाम करने पर आपत्ति थी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लोक सूचना में प्रकाशन की कार्यवाही केवल मात्र विधिविपरीत तौर पर सात दिन की अल्प अवधि हेतु नोटिस जारी कर की गई। साथ ही विवादित खसरा नम्बर बाबत किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट नहीं मांगवाई गई जो तथाकथित रिपोर्ट मंगवाना बतला रहे है वह भी मौके पर नहीं जाकर कार्यालय में ही बनाई गई जिससे विवादित आराजियात की सही स्थिति का आंकलन नहीं हो सका है।

मैंने दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि कुचामन सिटी में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 308 रकबा 1.4800 हैक्टर के संबध में सुओ–मोटो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए)(8) के अन्तर्गत कार्यवाही में अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 12 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) के तहत राज्य पक्ष में पुर्नग्रहित करने का आदेश प्रदान करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 14 द्वारा नगर पालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। हस्तगत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवादित आराजियात आबादी में आ जाने से सोमोटो 90 ए (8) की धाराओं के तहत आदेश पारित किया है जिसमें किसी खातेदार/पक्षकार को नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है ना ही अपीलार्थीया ने प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कोई एतराज ही किया है। 90 ए का आदेश पारित किये जाने के दौरान विवादित खसरा नम्बर पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं था। साथ ही उक्त खसरा नम्बर में बहुत सारे सहखातेदार है उक्त सभी सहखातेदारों को उक्त आदेश से किसी को कोई एतराज नहीं है। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 308 रकबा 1.4800 हैक्टर भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के तहत पुनर्ग्रहित किया जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क की उपधारा (8) के तहत विवादित आराजियात को प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कुचामनसिटी द्वारा उनके आदेश क्रमांक 3127 दिनांक 22–12–2020 द्वारा नगर पालिका कुचामन सिटी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलार्थीया की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कुचामनसिटी जिला नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2020 अन्तर्गत धारा 90–क (8) राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–03–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर